तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.43/2023**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
17.4.2023	पत्रावली पेश हुई। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी हरिकेश जैन पुत्र श्री कपूरचन्द जैन, निवासी– बरलुट वाली वास, शिवगंज, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, फर्म शिवगंज को ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लिमिटेड शिवगंज, जिला– सिरोही के अधिवक्ता श्री नारायण सिंह देवडा उपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा (हाल निलम्बित) द्वारा दिनांक 28.1.2022 को फर्म शिवगंज को ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लिमिटेड, शिवगंज, जिला– सिरोही में प्रतिवादी हरिकेश जैन से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ बंदानी हिंग (बालाजी ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-1633 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./344/Act/2020/327 दिनांक 15.2.2022 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 29.3.2023 को प्रतिवादी हरिकेश जैन ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री नारायण सिंह देवडा उपस्थित हुये। प्रतिवादी के अधिवक्ता की बहस दिनांक को सुनी गई। प्रतिवादी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि न्याय निर्णयन आवेदन में जे.पी.के. सुपर बाजार पर खाद्य कारोबारी दर्शाया है, जबकि यह कारोबार शिवगंज कॉ आपेरटिव मार्केटिंग लि0 शिवगंज का ही सुपर मार्केट है व इसी संस्था का कारोबार है। समिति की दुकान पर बंदानी हिंग (बालाजी ब्राण्ड) को फर्म ओम एन्टर प्राईजेज, सुमेरपुर के द्वारा जारी बिल इनवोई नम्बर R0000541 दिनांक 06/9/2021 से खरीद की गई है। समिति से लिया गया सेम्पल के संबंध में संस्था के सुपर मार्केट में सील बन्द व पैकिंग में ही बिक्री करते है। लूज बिक्री नही करते है। समिति को सप्लाई की गई फर्म ओम एन्टरप्राईजेज, सुमेरपुर द्वारा [illegible] की गई यथास्थिति उसी पेकिंग में बिक्री की गई [illegible] व ब्रांड लेबल आदि पैकिंग, बेच नं., [illegible] फूड प्रोडक्ट्स, 327, मानसरोवर स्कीम, [illegible] पास, जोधपुर द्वारा ....लगतार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:21:13 IST
Reason: SelfAttested

प्रा०. जिला न्यायाधीश
सिरोही–307001

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.43/2023**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

जैसी पैकिंग आदि की गई उसी रुप में संस्था द्वारा उपलब्ध कराया गया है। मिस ब्राण्ड संबंधी समस्त कार्यवाही निर्माता कम्पनी/फर्म के द्वारा ही की गई है। समिति द्वारा पैकिंग बालाजी ब्राण्ड हींग को सीलपेक में ही वितरण किया गया है। कोई लूज बिक्री नही की गई है। उक्त हींग की ब्राण्ड पैकिंग, बेच नं., उत्पादन तिथि, निर्माण कार्य आदि सभी श्री बालाजी फूड प्रोडक्टस, 327, मानसरोवर स्कीम, पाल बाईपास, जोधपुर फर्म का ही है। अतः समिति के विरुद्ध जारी नोटिस को निरस्त किया जावे।

हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) दिनांक 28.1.2022 को समय 11.00 ए. एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म शिवगंज को ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लिमिटेड, शिवगंज पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रबन्धक की हैसियत से प्रतिवादी हरिकेश जैन पुत्र श्री कपूरचन्द जैन, निवासी– बरलुट वाली गली, शिवगंज, जिला– सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ बंदानी हिंग (बालाजी ब्राण्ड) विक्रय करता है। श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) द्वारा निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ बंदानी हिंग (बालाजी ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना मौके पर उपस्थित गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकरी, सिरोही के समक्ष प्रपत्र 5ए में विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता हरिकेश जैन को भरकर दी व रसीद प्राप्त की। श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) ने समिति की दुकान के अन्दर आलमारी की रैक में आम जन के बिक्री हेतु मौजूद खाद्य पदार्थ बंदानी हिंग (बालाजी ब्राण्ड) के 10 पैक्ड जार (प्रत्येक 100 ग्राम) में से बंदानी हिंग (बालाजी ब्राण्ड) के 4 पैक्ड जार (प्रत्येक 100 ग्राम) को वास्ते नमूना जांच क्रय किये एवं उसकी कीमत राशि रुपये 600– (अक्षरे रुपये छः सौ मात्र) प्रतिवादी हरिकेश जैन को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-1633, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ बंदानी हिंग (बालाजी ब्राण्ड) का नाम आदि अंकित कर उस पर [illegible] के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं श्री विनोद कुमार शर्मा, [illegible] खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) ने हस्ताक्षर [illegible] हिंग (बालाजी ब्राण्ड) के चारों नमूना पैकेटों पर एक–एक लेबल गोंद से

......लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:21:13 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.43/2023**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1633 को नियमानुसार गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार सील चपडी किया व प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये व श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रेता, गवाह व श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) के हस्ताक्षर किये हुए है। तत्पश्चात् श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) ने दिनांक 28.1.2022 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 28.1.2022 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) द्वारा फर्म शिवगंज को ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लिमिटेड, शिवगंज में प्रतिवादी हरिकेश जैन से खाद्य पदार्थ बंदानी हिंग (बालाजी ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ बंदानी हिंग (बालाजी ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1633 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./344/Act/2020/327 दिनांक 15.2.2022 के अनुसार खाद्य पदार्थ बंदानी हिंग (बालाजी ब्राण्ड) का नमूना मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया। प्रकरण में, यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण की अनुसंधान के दौरान प्रतिवादी हरिकेश जैन द्वारा तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा को खाद्य पदार्थ बंदानी हिंग (बालाजी ब्राण्ड) के 100–100 ग्राम के पैक्ड जारों के क्रय का बिल प्रस्तुत नही किया

.....लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:21:13 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.43/2023**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

है। प्रतिवादी हरिकेश जैन ने इस न्यायालय में जवाब के साथ फर्म ओम एन्टर प्राईजेज, सुमेरपुर के द्वारा जारी बिल इनवोई नम्बर R0000541 दिनांक 06/9/2021 की स्व प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की है, जिसका अवलोकन करने पर यह पाया गया कि फर्म ओम एन्टर प्राईजेज, सुमेपुर द्वारा शिवगंज को ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लिमिटेड, शिवगंज को खाद्य पदार्थ बालाजी हिंग के 100 जार विक्रय किये गये है, किन्तु ये जार कितने कितने ग्राम के है व इसके बैच नम्बर क्या है, उसका अंकन बिल में किया हुआ नही है। ऐसी स्थिति में, प्रथम दृष्टया यह साबित नही होता है कि फर्म ओम एन्टर प्राईजेज द्वारा शिवगंज को ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, शिवगंज को खाद्य पदार्थ बंदानी हिंग (बालाजी ब्राण्ड) के 100–100 ग्राम के पैक्ड जार विक्रय किये हो। यह भी उल्लेखनीय है कि खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट में उक्त खाद्य पदार्थ बंदानी हिंग (बालाजी ब्राण्ड) के पैकिंग लेबल पर बैंच नम्बर अंकित नही होना बताया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 में विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक व निर्माता के दायित्व दिये हुए है, जिसके अनुसार मिथ्याछाप खाद्य सामग्री के विक्रय हेतु विक्रेता भी दोषी है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि फर्म शिवगंज कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लिमिटेड, शिवगंज की सुपर मार्केट दुकान द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ बंदानी हिंग (बालाजी ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 52 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ बंदानी हिंग (बालाजी ब्राण्ड) के विक्रय हेतु प्रतिवादी फर्म शिवगंज को ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लिमिटेड, शिवगंज, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 3,000/– (अक्षरे रुपये तीन हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी हरिकेश जैन को आदेशित किया जाता है कि शिवगंज को ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लिमिटेड, शिवगंज पर आरोपित शास्ति (जुर्माना) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन में जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार [illegible] म हो तथा वास्ते जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक [illegible].2023 को पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:21:13 IST
Reason: SelfAttested

(के.आर. खौड)
अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.